

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.6.19 द्वारा श्रीमती गायत्री शर्मा, अध्यापिका लेवल प्रथम, राआउमावि, रामरतपुरा बस्सी, जयपुर को निजी विदेश यात्रा दिनांक-22.6.19 से 20.8.19 (60 दिवस) तक हेतु स्वीकृति जारी की गई थी। श्रीमती गायत्री शर्मा, अध्यापिका के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.8.19 के आधार पर दिनांक 21.8.19 से 14.9.19 (25 दिवस) हेतु विदेश यात्रा की अवधि बढ़ाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें पूर्व आदेश अनुसार रहेंगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/बो-4/2019

दिनांक- 26-08-2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
- 4- प्रधानाचार्य, राआउमावि, रामरतनपुरा, बस्सी, जयपुर।
- 5- श्रीमती गायत्री शर्मा, अध्यापिका लेवल प्रथम, राआउमावि, रामरतपुरा बस्सी, जयपुर
- 6- रक्षित पत्रावली




संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती संजीवनी रेड्डी बरिष्ठ अध्यापिका (अंग्रेजी), राबाउमावि रंगबाडी जिला कोटा जन्मतिथि-18.10.73 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक-21.10.2019 से 30.10.2019 तक (10 दिवस) बैंकॉक, थाईलैण्ड जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सन्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मध्य नोर्बाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिर्मुद्र नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।


निदेशक (डिप्टी)
आई.एस.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/घौ-5/2019/160

दिनांक- 26-8-2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप्त-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग, कोटा
- 3- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान कोटा
- 4- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
- 5- प्रधानाचार्य, राबाउमावि, रंगबाडी, (कोटा)
- 6- श्रीमती संजीवनी रेड्डी बरिष्ठ अध्यापिका, राबाउमावि विद्यालय रंगबाडी, (कोटा)
- 7- रक्षित फाइली

